भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *283
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

निर्भया कोष का उपयोग

***283. श्रीमती स्मिता उदय वाघ:**
श्रीमती कृति देवी देबबर्मन:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान निर्भया कोष के अंतर्गत जलगांव, नबरंगपुर, देवास-शाजापुर, क्योंझर, सीधी, दुमका और दाहोद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत, जारी की गई/उपयोग में लाई गई;
(ख) क्या सरकार इस कोष के माध्यम से सुदृढ़/कार्यान्वित वन स्टॉप सेंटरों, महिला हेल्पलाइनों और महिला सुरक्षा से संबंधित अन्य पहलों के संबंध में आंकड़े रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) इस कोष के अंतर्गत उक्त निर्वाचन क्षेत्रों सहित राज्य-वार कौन-कौन सी अतिरिक्त महिला सुरक्षा अवसंरचना परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं;
(घ) क्या सरकार ने कोष के उपयोग में विलंब की पहचान करने के लिए कोई समीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महिला सुरक्षा परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन/निगरानी में सुधार लाने के लिए राज्य-वार क्या उपाय निर्धारित किए गए हैं;
(ङ) क्या सरकार का विचार महिला सुरक्षा अवसंरचना/सहायता सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त निर्भया कोष परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने का है और यदि हां, तो उक्त निर्वाचन क्षेत्रों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित योजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से इसके अंतर्गत निधियां भी उपलब्ध करा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'निर्भया कोष का उपयोग' के संबंध में श्रीमती स्मिता उदय वाघ और श्रीमती कृति देवी देबबर्मन द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 283 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

क): निर्भया कोष के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए स्वीकृत/जारी/उपयोग की गई निधियों तथा जलगांव, नबरंगपुर, देवास-शाजापुर, क्योंझर, सीधी, दुमका और दाहोद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत/जारी/उपयोग की गई निधियों का विवरण अनुलग्नक-I तथा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ख): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिनांक 01.04.2015 से निर्भया कोष के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर तथा महिला हेल्पलाइन योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर समेकित सहायता एवं सहयोग उपलब्ध कराया जाता है तथा उन्हें तत्काल पुलिस सहायता, चिकित्सा सुविधा, कानूनी सहायता, परामर्श तथा मनोवैज्ञानिक सहायता जैसी आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्तमान में देश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को शामिल करते हुए 36 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 991 वन स्टॉप सेंटर कार्यशील हैं। इन केंद्रों के माध्यम से अब तक 15.20 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है। महिला हेल्पलाइन एक निःशुल्क चौबीसों घंटे उपलब्ध दूरसंचार सेवा है, जो 181 शॉर्ट कोड के माध्यम से संचालित होती है। यह सेवा हिंसा से प्रभावित महिलाओं को रेफरल प्रणाली के माध्यम से आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराती है। वर्तमान में महिला हेल्पलाइन 35 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील है। इसके माध्यम से अब तक 3.16 करोड़ फोन कॉल्स का निस्तारण किया जा चुका है तथा 1.04 करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। वन स्टॉप सेंटर एवं महिला हेल्पलाइन से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण तथा अन्य प्रासंगिक जानकारी मिशन शक्ति डैशबोर्डः https://missionshakti.wcd.gov.in. पर उपलब्ध है।

(ग) से (ङ): निर्भया कोष के अंतर्गत परियोजनाओं की अवधारणा तैयार की जाती है, उनका नियोजन किया जाता है तथा तत्पश्चात उन्हें मूल्यांकन एवं अनुशंसा के लिए अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। समिति द्वारा प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं अनुशंसा किए जाने के उपरांत प्रायोजक मंत्रालय के सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा इन्हें अनुमोदन प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात, परियोजना के संबंधित प्रायोजक मंत्रालय/विभाग के बजट में निधियों का आवंटन किया जाता है। निर्भया कोष के अंतर्गत संचालित परियोजनाएँ/ योजनाएँ मांग-आधारित होती हैं तथा सामान्यतः उनका क्रियान्वयन अलग-अलग समय पर किया जाता है और इन परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित प्रायोजक मंत्रालयों/ विभागों राज्य सरकारों की होती है।

अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति समय-समय पर संबंधित प्रायोजक मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति तथा उन पर किए गए व्यय की समीक्षा करती है। इसके

अतिरिक्त, मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र भी अपने-अपने स्तर पर इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करते हैं।

(च): सरकार द्वारा निर्भया कोष के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। इस कोष के अंतर्गत, केवल केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों तथा अन्य सरकारी निकायों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के लिए ही वित्तपोषण हेतु विचार किया जाता है।

अनुलग्नक- I

'निर्भया निधि का उपयोग' के संबंध में दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 283 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

निर्भया निधि के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए स्वीकृत/जारी/उपयोग की गई निधियों का विवरण

क्रम संख्या	कार्यान्वयन मंत्रालय/विभाग	परियोजना का नाम	कुल जारी/उपयोग की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1	गृह मंत्रालय (एमएचए)	आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)	358.15
2		केंद्रीय पीड़ित प्रतिपूर्ति कोष (सीवीसीएफ)	200
3		महिलाओं एवं बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) सीसीपीडब्ल्यूसी के अंतर्गत उप-परियोजना	179.00
4		दिल्ली में जिला और उप-मंडल पुलिस स्टेशन स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं/परामर्शदाताओं की सुविधा	5.01
5		नानकपुरा में महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष इकाई (एसपीयूडब्ल्यूएसी) और उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष इकाई (एसपीयूएनईआर) हेतु महिला केंद्रित सुविधा युक्त नवीन भवन	21.35
6		दिल्ली पुलिस महिला सुरक्षा योजना	9.96
7		8 शहरों अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई के लिए सुरक्षित शहर परियोजना	1686.73

8		सीएफएसएल, चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए लैब	42.84
9		30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की एसएफएसएल में डीएनए विश्लेषण, साइबर फोरेंसिक और संबंधित सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	184.80
10		यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह हेतु अन्वेषण अधिकारियों (आईओ)/अभियोजन अधिकारियों (पीओ) का प्रशिक्षण तथा फोरेंसिक किट किटों की खरीद	56.58
11		राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण	94.47
12		सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना/सुदृढ़ीकरण	159.73
13	रेल मंत्रालय	एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली	308.29
14		कोंकण रेलवे स्टेशन पर वीडियो निगरानी प्रणाली की व्यवस्था	26.39
15		महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2109 टैब की खरीद	4.62
16	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	महिलाओं की सुरक्षा के लिए कारों और बसों में पैनिक स्विच आधारित सुरक्षा डिवाइस का विकास और फील्ड परीक्षण	3.49
17	न्याय विभाग	बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत सुनवाई के लिए लंबित मामलों के निपटारे हेतु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाना। इस योजना को वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है।	1234.55
18	पर्यटन मंत्रालय	आंध्र प्रदेश सरकार की महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए अभयम परियोजना।	16.78

19	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	यूपीएसआरटीसी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा संबंधी परियोजना।	58.64
20		कर्नाटक सरकार के बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी) द्वारा भारी यात्री वाहनों के संचालन हेतु महिलाओं को प्रशिक्षण देने संबंधी परियोजना।	80.92
21		आंध्र प्रदेश सरकार की महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए अभयम परियोजना।	33.64
22		राज्यवार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म (वीटीपी)	257.07
23		तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) की बसों में केंद्रीय कमान एवं नियंत्रण केंद्र से निगरानी सहित एसओएस बटन युक्त वाहन ट्रैकिंग उपकरणों की स्थापना।	11.53
24		सिक्किम में महिलाओं की सुरक्षा हेतु सिक्किम राष्ट्रीयकृत परिवहन (एसएनटी) की 100 बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाना।	3.57
25		वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)	1299.10
26		महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमीकरण (डब्ल्यूएचएल)	228.74
27		महिला पुलिस स्वयंसेवक (एमपीवी)	16.32
28		चिराली प्रस्ताव, महिला सशक्तिकरण निदेशालय	4.71
29		मध्य प्रदेश सरकार की 'महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति हिंसा से मुक्त स्मार्ट एवं सुरक्षित शहर' कार्यक्रम।	1.04
30		उत्तराखंड सरकार की महिलाओं की सुरक्षा।	0.31
31		निर्भया शेल्टर होम, नागालैंड सरकार	2.55
32		निर्भया डैशबोर्ड के विकास हेतु एनआईसीएसआई परियोजना।	0.24

33	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए 'मिशन शक्ति' परियोजना।	8.25
34		पॉक्सो एक्ट, 2012 की धारा 4 एवं धारा 6 के अंतर्गत पीड़ितों की देखभाल एवं सहायता संबंधी योजना।	1.60
35		मणिपुर के 16 महिला बाज़ारों में भंडारण पेटियां (स्टोरेज बॉक्स) लगाना	1.60
36		मणिपुर के 16 महिला बाज़ारों में सीसीटीवी कैमरे लगाना	0.88
37		उत्तर प्रदेश में जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) पर उद्यमिता विकास, व्यावसायिक एवं डिजिटल प्रशिक्षण तथा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु महिला स्वावलंबन केंद्र (एमएसके) की स्थापना के लिए मिशन शक्ति-2.0	14.06
38		उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों में कामकाजी महिला छात्रावास के निर्माण हेतु सात परियोजनाएं।	11.49
39		नागालैंड राज्य के सात जिलों मोन, कोहिमा, फेक, पेरेन, वोखा, जुबहेबेटो तथा चुमुकेडिमा जिलों में कामकाजी महिला छात्रावास निर्माण परियोजना।	25.20
40		पंजाब के एस.ए.एस. नगर जिले में कामकाजी महिला छात्रावास निर्माण परियोजना।	3.77
41		तमिलनाडु के होसुर, सेंट थॉमस तथा तिरुवन्नामलाई में कामकाजी महिला छात्रावास निर्माण परियोजना।	21.52
42	आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की क्षेत्रीय तीव्र परिवहन	20.00

		प्रणाली (आरआरटीएस) में महिलाओं की सुरक्षा संबंधी पहलों का कार्यान्वयन	
43	विदेश मंत्रालय	विदेशों में 10 भारतीय मिशनों में वन स्टॉप सेंटर खोलने का प्रस्ताव	3.06
44	पंचायती राज मंत्रालय	हिंसा से मुक्ति: निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर क्षमता निर्माण	0.46

अनुलग्नक- II

"निर्भया कोष का उपयोग" के संबंध में दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 283 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

निर्भया कोष के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत/जारी/उपयोग की गई निधियों का विवरण, जिसमें जलगांव, नबरंगपुर, देवास-शाजापुर, क्योंझर, सीधी, दुमका तथा दाहोद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्य भी शामिल हैं।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजना के प्रारंभ से अब तक जारी एवं उपयोग की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	147.70
2	अरुणाचल प्रदेश	63.63
3	असम	145.62
4	बिहार	178.29
5	छत्तीसगढ	137.37
6	गोवा	23.53
7	गुजरात	288.11
8	हरियाणा	102.94
9	हिमाचल प्रदेश	57.89
10	जम्मू और कश्मीर	61.35
11	झारखंड	82.12
12	कर्नाटक	602.20
13	केरल	146.41
14	मध्य प्रदेश	320.71
15	महाराष्ट्र	361.31
16	मणिपुर	58.54
17	मेघालय	52.78

18	मिजोरम	62.11
19	नागालैंड	90.28
20	ओडिशा	196.97
21	पंजाब	97.63
22	राजस्थान	237.09
23	सिक्किम	28.13
24	तमिलनाडु	448.17
25	तेलंगाना	318.65
26	त्रिपुरा	31.79
27	उत्तर प्रदेश	746.26
28	उत्तराखंड	72.11
29	पश्चिम बंगाल	171.82
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15.90
31	चंडीगढ़	81.36
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	20.25
33	दिल्ली	485.47
34	लद्दाख	6.34
35	लक्षद्वीप	9.22
36	पुदुच्चेरी	20.73
